झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 20 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती निर्मला देवी एवं अन्य, ग्राम-चेचरिया, पो॰-उंटारीरोड, पलामू ।

DISPOSED
19/04/23.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा॰, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद-20/2023.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10.04.2023	शिकायतकर्ता श्री गनौरी मेहता, श्रीमती निर्मला देवी एवं अन्य, ग्राम–चेचरिया, पंचायत–मुरमाकला, प्रखण्ड–ऊंटारी रोड, जिला–पलामू का अपील आवेदन वाट्सएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनसे अंगूठा लगवाकर उन्हें माह अप्रैल एवं मई, 2022 का राशन नहीं दिया गया। यह भी कि उनका राशन कार्ड माह जून में PDS डीलर महिला रक्षा समूह, चेचरिया, अनुज्ञप्ति सं0–08/2009 एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी की मिलीभगत से रद्द कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक–10.01.2023 को DGRO, पलामू को शिकायत की गई थी, किन्तु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में DSO, पलामू को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–19.04.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–19.04.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें। 10.4.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 10/04/2023 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx33	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–20 / 2023	
19.04.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता का कहना है कि गलत तथ्यों के आधार पर उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। आयोग ने जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पक्ष जानना चाहा तो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू ने भी माना कि गलत जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती निर्मला देवी का राशन कार्ड रद्द किया गया। भूल सुधार कर पुनः श्रीमती निर्मला देवी को हरा राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है। आयोग यह मानता है कि एक षडयंत्र के तहत् श्रीमती निर्मला देवी का राशन कार्ड रद्द करवाया गया। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि श्रीमती निर्मला देवी के राशन कार्ड को रद्द करवाने की प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएँ। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद की कार्रवाई को समाप्त करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx55	